बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

दिनांक–18.09.2026 (शुक्रवार) को पूर्वा 10:30 बजे से माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित राज्य में संचालित विभिन्न परियोजनाओं हेतु की जा रही भूमि अधिग्रहण के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

---

1. उपस्थिति–पंजी के अनुसार।

2. राज्य अंतर्गत में संचालित विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय लोकहीत के निर्माण कार्य हेतु भू–अर्जन की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक में सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/सक्षम प्राधिकार भूमि अर्जन (CALA) एन0एच0ए0आई0, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं अन्य उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

3. माननीय मंत्री महोदय द्वारा अररिया जिलान्तर्गत की जा रही भू–अर्जन की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा गई जो कि इस प्रकार है :–

1. **अररिया से सुपौल नई बड़ी रेल लाईन निर्माण परियोजना :–** अररिया जिलान्तर्गत रेलवे के दो परियोजनाएं है, जिसमें एक बड़ी रेल लाईन परियोजना है, जिसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, कुल निहित रकवा–760.839 एकड़ का दखल कब्जा दिया गया है। प्राप्त राशि–320 करोड़ में से 309.22 करोड़ रुपये का भुगतान रैयतों को किया गया है। शेष राशि 10.77 करोड रूपये का भुगतान माह–सितम्बर 2026 के अंतिम सप्ताह तक करने की बात उपस्थित अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा कही गई।

2. **परसरमा–अररिया सेक्शन 4–लेन सड़क निर्माण परियोजना :–** अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि परसरमा–अररिया सेक्शन 4–लेन सड़क निर्माण परियोजना में 16 मौजा आता है, जिसमें अधिसूचना एवं अधिघोषणा हो चुका है अधिनियम की धारा–3G के तहत् अर्जनाधीन भूमि (अवस्थित परिसम्पति को छोड़कर) के प्राक्कलन कार्यालय पत्रांक–469 दिनांक–17.03.2026 द्वारा मो0–130,78,40,066.00 रूपये की स्वीकृति हेतु अधियाची विभाग को उपलब्ध कराया गया। दिनांक–02.06.2026 को उक्त प्राक्कलन पर सहमति/स्वीकृति प्राप्त है। अर्जनाधीन भूमि पर अवस्थित परिसम्मति का मूल्यांकन (जे0एम0एस0) कार्य अधियाची विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर संबंधित विभागों द्वारा किया जा रहा है। वर्त्तमान में हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान के निमित्त नोटिस निर्गत किया गया है। स्वीकृत 3जी0 के अनुसार अर्जनाधीन भूमि का मुआवजा भुगतान भूमि राशि पोर्टल द्वारा किया जाना है। हितवद्ध रैयतों से

प्राप्त आवेदन के आलोक में जॉचोपरान्त सितम्बर माह के अंतिम सप्ताह तक मुआवजा भुगतान की कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

3. भारतमाला गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड सड़क निर्माण :– अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि भारतमाला परियोजना अंतर्गत गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड सड़क निर्माण में कुल मौजों की सं0–46 है। अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक–03.09.2026 को किया गया है। परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आ0यू0, पूर्णियाँ के पत्रांक–1049 दिनांक–23.09.2025 द्वारा अधियाचना को सत्यापित हेतु उपलब्ध कराया गया है। दिनांक–03.09.2026 को 45 मौजों में 473.8335 हे0 भूमि के 3A का प्रकाशन हिन्दुस्तान एवं हिन्दुस्तान टाईम्स समाचार पत्र में अधिसूचना संख्या–4753(अ) दिनांक–25.08.2026 द्वारा हो चुका है।

4. <u>एन0एच0–327ई पर रानीगंज बाईपास/सुकेला मोड़/भरगामा मोड़ वक्र सुधार परियोजना :–</u> अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि 327 रानीगंज वाईपास सुकेला इस परियोजना में कुल–06 मौजा में जमीन अधिग्रहण की जानी थी। कुल–23.43 हेक्टेयर भूमि पर दखल कब्जा किया गया है। कुल प्राक्कलित राशि–67.22 करोड है। रैयतों को वितरित की गई राशि (करोड)–45.04 करोड की गई है। शेष राशि– 22.18 करोड़ रूपये का भुगतान की कार्रवाई जल्द ही पूर्ण कर ली जायेगी।

5. एन0एच0–57 से अनुमंडल व्यवहार न्यायालय, फारबिसगंज तक पहुँच पथ निर्माण परियोजना :– अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत परियोजना में अर्जित भूमि का पंचाट एवं प्राक्कलन दिनांक–02.06.2026 को सक्षम स्तर से स्वीकृत प्राप्त हो चुका है। वर्त्तमान में सभी रैयतों को मुआवजा भुगतान के निमित्त स्वत्व संबंधी कागजात उपलब्ध कराने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। इस कार्यालय पत्रांक–833 दिनांक–10.06.2026 द्वारा अधियाची विभाग से अवशेष राशि मो0–2,40,59,833 रूपये उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया जो कि अबतक अप्राप्त है।

6. अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट अंचल में पैंकेज संख्या–BR01R-362 RCC Bridge at Thapkol to Karhbana Road Near Thapkol Village (Lenth- 26.44M) पहुँच पथ निर्माण :– अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में कुल–02 मौजा है। अर्जनाधीन भूमि का किस्म/प्रकृति निर्धारण हेतु दिनांक–25.03.2026 को आहूत छः सदस्यीय उचित प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा पूर्ण कर ली गई है। अधिनियम के धारा 11(1) के तहत अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक–14.08.2026 को कर दिया गया है। धारा–15 के तहत आपति की सुनवाई की कार्रवाई की जा रही है।

7. आर0सी0डी0 नाबार्ड योजना मद से फारबिसगंज अंचल अन्तर्गत मीरगंज–जोगबनी पथ के पहले किलोमीटर में (7X24.0M) आकार का उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल परियोजना :– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में

कुल–02 मौजा है जिसमें कुल निहित रकवा–3.02.750 एकड़ है। कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, अररिया के पत्रांक–763/अनु0 दिनांक–09.05.2025 एवं अंचल अधिकारी, फारबिसगंज के पत्रांक–1244 दिनांक–28.05.2025 में प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नगत खेसरों में पूर्व से 1.56.000 एकड़ भूमि अर्जित है, को छोड़कर शेष भूमि 1.46.750 एकड़ के लिए भू–अर्जन की कार्रवाई की जाय। भू–अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा–7(1) के प्रावधान के तहत एस0आई0ए0 अध्ययन का मूल्यांकन विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया है। दिनांक–17.04.2025 को एस0आई0ए0 अध्ययन का मूल्यांकन कार्यवाही पूर्ण की गई तथा गठित विशेषज्ञ समिति के ज्ञापांक–335 दिनांक–17.04.2025 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। स्थानीय लोगों का कथन है कि अधिकांश खेसराओं की भूमि पूर्व से अर्जित है, तदालोक में समाहर्त्ता, अररिया के ज्ञापांक–569/जि0भू0अ0 दिनांक–20.06.2025 द्वारा प्रस्तावित खेसरों के अर्जन की दिशा में कतिपय बिन्दुओं की जाँच हेतु जाँच दल का गठन किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। कार्यालय पत्रांक–969 दिनांक–20.09.2025 द्वारा स्मारित किया गया है। वर्त्तमान में पुनः वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु स्मारित किया जा रहा है। वांछित प्रतिवेदन उपरांत होने के पश्चात् नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

8. अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज बथनाहा स्टेशन के बीच कटिहार–जोगबनी रेल खण्ड पर रेलवे समपार संख्या–LC No. KJ-65 (सुभाष चौक) के बदले उपरी पुल (आर0ओ0बी0) निर्माण परियोजना :– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में कुल–03 मौजा है जिसमें कुल निहित रकवा–0.64.599 एकड़ है जो कि प्राप्त राशि–5.00 करोड रूपये है इस कार्यालय ज्ञापांक–1210/जि0भू0अ0 दिनांक– 26.12.2025 एवं कार्यालय पत्रांक–115/जि0भू0अ0, अररिया दिनांक–24.01.2026 तथा पत्रांक–876 दिनांक–15.06.2026 द्वारा अर्जनाधीन भूमि पर अवस्थित परिसम्पति के मूल्यांकन प्रतिवेदन भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, अररिया को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जो अद्यतन अप्राप्त है। रैयत के द्वारा संरचना मूल्यांकन कार्य में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एल0पी0ए0 संख्या–721/2026 वाद दायर किया गया है।

9. सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–4069/2015 में पारित आदेश के आलोक में अररिया जिलान्तर्गत पलासी–टेढ़ागाछ पथ के 10वें किलोमीटर, जोकीहाट–पलासी पथ के 27वें किलोमीटर एवं 28वें किलोमीटर में उच्च स्तरीय सेतु एवं पहूँच पथ निर्माण परियोजना :– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में कुल–05 मौजा है जिसमें कुल निहित रकवा–3.26550 एकड़ है जो कि प्राप्त राशि–2.83 करोड एवं वितरित राशि– 2.71 करोड रूपये तथा कुल पंचाटियों की सं0–84 में से मुआवजा प्राप्त पंचाटियों की सं0–07 है। इस परियोजना में अर्जित भूमि का पंचाट एवं प्राक्कलन दिनांक–18.02.2026 को सक्षम स्तर से स्वीकृत प्राप्त हो चुका है। वर्त्तमान में सभी रैयतों को मुआवजा भुगतान के निमित्त स्वत्व संबंधी कागजात उपलब्ध कराने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। रैयतों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहें

कागजातों के आधार पर नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है। जल्द ही मुआवजा भुगतान की कार्रवाई पूर्ण की ली जायेगी।

10. F.R.D योजना अन्तर्गत बैरगाछी–बंगलाकोल पथ के 17वें कि0 मी0 पर R.C.C पुल का निर्माण :– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में कुल–01 मौजा है जिसमें कुल निहित रकवा–23.017 एकड़ है जो कि प्राप्त राशि–2470812.00 करोड रूपये एवं तथा कुल पंचाटियों की सं0–06 है। परियोजना का प्राक्कलित राशि की स्वीकृति दिनांक–23.09.2025 को समाहर्त्ता, अररिया के द्वारा प्राप्त है। मुआवजा भुगतान हेतु दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु रैयतों को नोटिस निर्गत किया गया है। रैयतों से भुगतान हेतु आवेदन प्राप्त होते ही मुआवजा की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए माननीय मंत्री द्वारा दिये गये निदेश इस प्रकार हैं :– समीक्षात्मक बैठक में रेलवे के पदाधिकारियों की अनुपस्थित पर पत्र के माध्यम से रेलवे को सूचित किया जाय। सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि संबधित लाभुको को ससमय देने का निदेश दिया गया। साथ ही सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि भूमि अधिग्रहण के लिये सभी परियोजनाओं में अबतक कितना राशि प्राप्त हुआ है एवं हितबद्ध रैयतों को कितनी राशि वितरित की गई है, अबतक कितना राशि शेष बचा हुआ है, इसकी एक विवरणी तैयार कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त अरवल में अर्जनाधीन भूमि के प्रकृति के निर्धारण के संबंध में पूर्व जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा की गई चूक के लिये उन्हे चिन्हित कर स्पष्टीकरण पूछे जाने एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा पी0एम0जी एवं प्रगति के माध्यम से से प्राप्त विभिन्न लंबित परियोजनाओं हेतु अर्जित की जा रही भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा की गयी जो कि निम्नलिखित है :–

i. **PRAGATI (7 CONSTRUCTION OF 6-LANE GREENFIELD VARANASI-RANCHI- KOLKATA HIGHWAY FROM PANCHMOH VILLAGE TO ANARBANSALEAVILLAGE (FROM KM 116+000 TO KM 151+200, PKG-VI) UNDER BHARATMALA PARIYOJANA IN BH):-** जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि 35.2 किलोमीटर में से 18.2 किलोमीटर का कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है। 09 सितंबर 2026 तक भुगतान 120.06 करोड़ किया गया है मुआवजा भुगतान तेजी से करने के लिए नियमित कैंप लगाए जा रहा है। सचिव महोदय द्वारा रैयतों को तेजी से भुगतान करने का निदेश दिया गया।

ii. PMG-7077 Multi tracking of Son Nagar - Andal 374.53 rkm & 814.38 tkm :- जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गयाजी द्वारा बताया गया कि PMG-7077 Multi tracking of Son Nagar में कुल प्लॉट की सं0–49 है। जिसमें से 47 प्लॉट का पेमेंट हो चुका है, बाकि 02 प्लॉट का LA मैप के अनुसार 20A नोटिफिकेशन 20.08.2026 को पब्लिश किया गया है। JMS का काम पूर्ण हो चुका है।

iii. **PRAGATI (Araria Supaul New BG Line)** :- जिला भू–अर्जन ,पदाधिकारी, अररिया द्वारा बताया गया कि संबंधित विभाग ने बताया है कि परियोजना के लिए पहले से अधिसूचित 307.90 हेक्टेयर भूमि का कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है। उन्हें अतिरिक्त 19 एकड़ भूमि की जरूरत है, जिसमें से 14.668 एकड़ भूमि का अधियाचना प्राप्त है। 7.977 एकड़ भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान पहले ही शुरू हो चुका है बाकी 6.691 एकड़ भूमि के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया अभी चल रही है जल्द ही पूर्ण कर ली जायेगी। सचिव महोदय द्वारा बाकी 6.691 एकड़ भूमि के लिए नोटिफिकेशन जल्द पूर्ण कर विभाग को सूचना देने का निदेश दिया गया।

iv. **MIS पोर्टल** :– निदेशक भू–अर्जन महोदय द्वारा निदेशक दिया गया कि सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को मंगलवार एवं शुक्रवार को समीक्षा कर MIS पोर्टल पर सभी परियोजाओं को पूर्ण Entry कर अद्यतन किया जाय।

v. **स्कैनिंगः**– निदेशक भू–अर्जन महोदय द्वारा निदेशक दिया गया कि सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को अभियान चलाकर 10 अक्टूबर 2026 तक स्कैनिंग कार्य पूर्ण कर, अभिलेखों को मॉर्डन रूम में संरक्षित किया जाय।

vi. **ACP/MACP** :– निदेशक भू–अर्जन महोदय द्वारा निदेशक दिया गया कि जिन कर्मियों को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 दिया जा चुका है, उन कर्मियों को बकाया अंतर वेतन राशि की गणना कराते हुए अतिशीघ्र भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाय।

vii. **सरकारी भूमि का दाखिल–खारिजः**– निदेशक भू–अर्जन महोदय द्वारा निदेशक दिया गया कि भू–अर्जन की विभिन्न परियोजनाओं के लिए पूर्व में अधिग्रहित भूमि का दाखिल–खारिज किये जाने हेतु कार्य अभियान चलाकर अतिशीघ्र पूर्ण किया जाय।

बैठक की कार्रवाई धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त की गयी।

14/10/26

(कमलेश कुमार सिंह)
निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।

ज्ञापांकः–14/डी0एल0ए0/मासिक समीक्षात्मक (बैठक)–01/2024–1998 **पटना,दिनांक–**14-10-26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. सभी समाहर्त्ता, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी एवं सक्षम प्राधिकार भूमि अर्जन (CALA) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. निदेशक, ए0 एन0 सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना/निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना/निदेशक, विकास प्रबंधन संस्थान, उद्योग भवन, पटना/निदेशक, आद्री एवं निदेशक, एल0एन0 मिश्र, आर्थिक अध्ययन एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

4. क्षेत्रीय पदाधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (ईमेल–ropatna@nhai.org), क्लासिकोन शिवमित्रा अपार्टमेंट ब्लॉक–बी, प्रथम तल, विवेकानन्द मार्ग, बोरिंग रोड, पटना–800013 पटना एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, सड़क परिवहन एवं उच्च पथ मंत्रालय, (ईमेल– ropatnamorth@gmail.com), भारत सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, (ईमेल–gm@ecr.railnet.gov.in) महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे, मालीगॉव, गुवाहाटी (ईमेल–gm@nfr.railnet.gov.in) एवं महाप्रबंधक, उत्तर–पूर्व रेलवे, गोरखपुर (ईमेल–gm@ner.railnet.gov.in) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को ई–मेल एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/10/26

निदेशक,
भू–अर्जन, बिहार।